[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड**)**

अधिसूचना संख्या 62/2021-सीमाशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली**,** 23 जुलाई, 2021

सा.का.नि. …….(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 146 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 के निम्नलिखित विनियमनों में संशोधन करती है, यथा:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और आरम्भ - (1) ये विनियमन कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग (अमेंडमेंट) रेग्यूलेशन्स, 2021 कहे जाएंगे।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 में, -

(i) विनियमन 8 के पश्चात, निम्नलिखित विनियमन को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**8क. लाइसेंस को वापस करना**. - (1) एक लाइसेंसधारी कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस को सीमाशुल्क के प्रदान आयुक्त या आयुक्त, जिसके द्वारा भी लाइसेंस जारी किया गया हो, जैसा भी मामला हो, को लिखित अनुरोध करके लाइसेंस वापस कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के अंतर्गत लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त लाइसेंस को निरस्त कर सकते हैं यदि,–

(क) लाइसेंसधारी ने अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार देय सभी शुल्कों का भुगतान कर दिया है; और

(ख) लाइसेंसधारी के खिलाफ किसी भी अधिनियम, नियमों या विनियमों के तहत बनाए गए किसी भी प्रावधान के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही लंबित नहीं है।";

(ii) विनियमन 9 के लिए, निम्नलिखित विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"**9. लाइसेंस की वैधता की अवधि**. - (1) कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंस तब तक वैध होगा जब तक कि विनियमन 8 का के उप-

विनियमन (2) या विनियमन 14 के तहत प्रावधानों की शर्तों के अनुसार इसे वापस या निरस्त न किया गया हो।

(2) उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए यदि लाइसेंसधारी एक वर्ष की अवधि के लिए निष्क्रिय पाया जाता हो तो लाइसेसं को वैध नहीं समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण - शब्द 'निष्क्रिय' का संदर्भ एक ऐसे कस्टम्स ब्रोकर से लिया जाएगा, जिसने एक वर्ष की अवधि के दौरान सीमाशुल्क संबंधी कोई लेन-देन न किया हो, जिसमें वह अवधि शामिल नहीं होगी जिस दौरान विनियमन 16 के अंतर्गत उसका लाइसेंस निलंबित रहा हो।

(3) उप-विनियमन (2) के अंतर्गत उनके लाइसेंस को अवैध समझ लिए जाने के उपरांत विनियमन 7 के प्रावधानों के अंतर्गत, सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त लाइसेंसधारी द्वारा फॉर्म- I में आवेदन करने पर, स्वयं को यह समाधान होने के उपरांत कि आवेदक विनियमन 7 के अंतर्गत लाइसेंस की मंजूरी के लिए अन्यथा पात्र है तथा आवेदन की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर सीमाशुल्क ब्रोकर द्वारा पन्द्रह हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के उपरांत समाप्ति की तिथि से लाइसेंस का नवीनीकरण कर सकता है";

(iii) फॉर्म-ए में, उद्घोषणा के अतंर्गत, भाग (घ) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(घ) अधोहस्ताक्षरी/यह व्यक्ति जो कि मेरे द्वारा तैनाती के लिए प्रस्तावित है वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के किसी भी प्रावधानों के तहत दंडित, दोषी या अभियोजित किया गया/नहीं किया गया है।";

(iv) फॉर्म-एच के पश्चात, निम्नलिखित फॉरम को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"फॉर्म - I

[विनियमन 9 के उप-विनियमन (3) को देखें]

कस्टम्स ब्रोकर द्वारा लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
पता

1.	कस्टम्स ब्रोकर का नाम:-	
2.	कस्टम्स ब्रोकर का पूरा पता:-	
3.	कस्टम्स ब्रोकर का लाइसेंस नम्बर और इसे जारी करने वाला कस्टम्स हाउस:-	

4.	क्या आवेदक द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, नियमों या विनियमों के अंतर्गत बनाए गए प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार को देय सभी शुल्कों का भुगतान किया गया है? (हां/नहीं)	
5.	क्या विनियमन 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बॉण्ड और रक्षा शुल्क अभी भी वैध है? (हां/नहीं)	
6.	यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है तो क्या ऐसे भागीदार/भागीदारों या निदेशक/निदेशकों जो कि वास्तविक रूप से कस्टम्स ब्रोकर के कार्य में संलग्न हैं, के नाम और परमानेंट अकाउन्ट नम्बर्स (पैन) में कोई परिवर्तन है? (हां/नहीं) यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें।	
7.	नवीनीकरण का कारण:-	
	उद्घोषणा:	
(क)	मुझे अंग्रेजी/स्थानीय भाषा(.....)/हिन्दी की जानकारी है।	
(ख)	फर्म या कंपनी जिसके द्वारा अधोहस्ताक्षरी तैनात किया गया है उनके पास कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 1984, कस्टम्स हाउस एजेंट लाइसेंसिंग विनियम, 2004, कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियम, 2013 या इन विनियमनों के अंतर्गत कस्टम्स हाउस एजेंट या कस्टम्स ब्रोकर का पहले से ही लाइसेंस है और यह लाइसेंस न तो रद्द किया गया है या न ही निलंबित किया गया है।	
(ग)	अधोहस्ताक्षरी/यह व्यक्ति जो कि मेरे द्वारा तैनाती के लिए प्रस्तावित है वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और वित्त अधिनियम, 1994, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के किसी भी प्रावधानों के तहत दंडित, दोषी या अभियोजित किया गया/नहीं किया गया है।	

मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने कस्टम्स ब्रोकर लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 पढ़ लिया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

दिनांक : **आवेदक के हस्ताक्षर ".**

[फाइल संख्या 5**20/07**/20**13**-सीमाशुल्कVI(Vol.III)]

(केविन बोबन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान विनियमन सं. 41/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 14 मई, 2018, जिसे सा.का.नि. सं. 451(अ), दिनांक 14 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।